

आज यह प्रमाण पत्र  
 कलकत्ता द्वारा 212RT  
 अर्थ के तहत अधिवक्ता  
 श्री दीपचन्द्र गहावर ने  
 पेअ प्रमाण उक्त प्रकार में  
 केपियर प्रमाण पत्र संलग्न  
 है केपियर कर्ता को नोटिस  
 जारी होकर दिनांक 19/3/19  
 को पेअ हो em

19/3/19  
 काय कार्य में व्यापक  
 29/3/19 को पेअ हो em

29/3/19  
 पत्रावली पेअ हुई. अधिवक्ता संघ द्वारा  
 प्रमाणित / वसुधै क्वं कुर्वित्कार करने पर  
 पत्रावली अंतर्गत दिनांक 1/4/19 पेअ हुई em

11/4/19 पत्रावली पेअ हुई वकील  
 प्रमाण उपस्थित। भणवाड में  
 पिशा का प्रमाण पत्र पेअ होने  
 पर बाद को खारिज किया  
 गया है कि इस प्रमाण पत्र  
 का कोई अर्थव्यय नहीं है।  
 इसी कारण प्रमाण कलकत्ता  
 द्वारा 212RT अर्थ को खारिज  
 किया जाता है पत्रावली फिलहाल  
 शुद्ध होकर जम्मा में काठ हो  
 बाद अति कारिज इष्ट हो em

द. ग. ग. ग.  
 Identified  
 (अतिवक्ता)

